



उदयपुर

Rashtradoot

फोन:- 2418945 फैक्स:- 0294-2410146

वर्ष: 33

संख्या: 116

प्रभात

उदयपुर, शुक्रवार 27 फरवरी, 2026

आर.जे. 7202

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

राजस्थान हाई कोर्ट में घुसकर वकीलों से जमकर मारपीट, मामला दर्ज बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अंकुश शर्मा द्वारा एक युवक-युवती को हाई कोर्ट से सुरक्षा दिलाने के लिए याचिका दायर की जानी थी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 26 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में गुरुवार को करीब 30-40 लोगों ने एक अधिवक्ता के चैंबर में घुसकर वकीलों से मारपीट की। जैसे ही यह खबर हाईकोर्ट परिसर में फैली तो अन्य अधिवक्ता भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-धुंसे चले। इसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद मारपीट में घायल अधिवक्ता अंकुश शर्मा ने अशोक नगर थाने में 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है।
अधिवक्ता अंकुश शर्मा ने एफ.आई.आर. में पुलिस को बताया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे वे अपनी मुवाबिकल निशु कुमावत व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में प्रोटेक्शन (सुरक्षा प्रदान करने के लिए) याचिका

- परंतु इससे पूर्व ही करीब 30-40 लोगों ने अधिवक्ता के चैंबर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया।
- जैसे ही इस घटना की जानकारी हाईकोर्ट परिसर में फैली तो अन्य अधिवक्ता भी बीच-बचाव के लिए पहुंचे, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर लात-धुंसे चले।

दायर करने वाले थे। इसी दौरान करीब 30-40 लोग हथियारों से लैस होकर हाईकोर्ट परिसर स्थित उनके चैंबर 269 में घुस आये और बिना कुछ बताए मारपीट शुरू कर दी। इससे अंकुश व उनके अन्य साथी अधिवक्ता घायल हो गए। बदमाशों ने झगड़े व मारपीट के दौरान वहां रखी फाइलों को फाड़कर फेंक दिया। अंकुश के गले से सोने की चेन व जेब में रखे फीस के 6500 रुपए भी छीन लिए। इस दौरान बीच-बचाव

रामकुमार को जांच सौंपी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में मौजूद वरिष्ठतम न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अदालत में पहुंचकर दोपहर 2 बजे अधिवक्ताओं व बार कौंसिल के अध्यक्ष राजीव सागरवाल ने इस मामले की जानकारी दी। वकीलों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट परिसर में भी अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर कैसे रहेंगे। इस पर अदालत ने कहा कि 3 बजे इस मामले पर सुनवाई की जाएगी और महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने को कहा। जैसे ही 3 बजे इस मामले पर सुनवाई हुई तो महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से कहा गया कि हम पुलिस से बातचीत कर चुके हैं, आज की घटना को देखते हुए अब हाईकोर्ट परिसर में पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

जल जीवन मिशन प्रकरण में 5 को जमानत मिली

जयपुर, 26 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी में दर्ज मामले में आरोपी महेश कुमार मित्तल सहित, चार अन्य आरोपियों, हेमंत मित्तल, पीयूष जैन, गोपाल लाल कुमावत और उमेश कुमार शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने आरोपियों को

- हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है, इसलिए सह-आरोपियों को जमानत पर रिहा करना उचित होगा।

जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में मुख्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है और याचिकाकर्ता सह आरोपियों के खिलाफ आरोप उनसे गंभीर नहीं माने जा सकते। वहीं प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करना उचित होगा। जमानत याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पदम चंद जैन की कार से 2.20 लाख रुपए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब विधानसभा चुनावों की अग्रिम तैयारी शुरु की भाजपा ने

प्र.मंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के बाद अब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्दी ही मालवा क्षेत्र में विशाल रैली करेंगे

-श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 फरवरी। मीडिया का ध्यान इस समय भाजपा की पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चुनावों की रणनीतियों पर केन्द्रित है, वहीं भगवा पार्टी, जो कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, ने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के हालिया पंजाब दौरे के बाद, गृह मंत्री अमित शाह मोगा जिले के किकली चाहलान गांव में एक बड़ी रैली करने की योजना बना रहे हैं, जो राज्य के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मालवा क्षेत्र का केन्द्र है और सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणभूमि बन चुका है। उल्लेखनीय है कि सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी चुनावी मुहिम इसी गांव से 17 फरवरी को शुरू की थी। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के साथ पुनः गठबंधन करने को लेकर

- राजनैतिक दृष्टि से मालवा पंजाब का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सभी पार्टियों की इस पर नज़र है।
- भाजपा में गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है। पार्टी का एक वर्ग शिरोमणि अकाली दल के साथ पुनः गठबंधन करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग चाहता है कि भाजपा गठबंधन करने के बजाय स्वतंत्र आक्रामक नीति पर फोकस करे और सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़े।
- 2024 के लोकसभा चुनाव में 18.5 प्रतिशत वोट के साथ भाजपा पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी।
- अब भाजपा ने “एक भारत श्रेष्ठ भारत”, और “पूर्वांचल सम्मान कार्यक्रम” शुरु किए हैं, भाजपा का मुख्य लक्ष्य गैर पंजाबी मतदाता हैं, जो अन्य राज्यों से आए हैं।

भाजपा के अन्दर मतभेद हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा आक्रामक और स्वतंत्र रीति -नीति पर फोकस कर रही है, जिसमें राज्य विधानसभा की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नरेन्द्र आप दोस्त से बढ़कर हैं, एक भाई हैं’

इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेहद भावुक भाषण दिया, प्र.मंत्री मोदी के स्वागत में

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समय इज़राइल की उच्च-स्तरीय यात्रा पर हैं। सन 2017 की ऐतिहासिक यात्रा के बाद तेल अवीव की यह उनकी दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की, जिसका उद्देश्य व्यापार और रक्षा संबंधों को गहरा करना था। इस यात्रा को घरेलू स्तर पर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी को “दोस्त से भी बढ़कर” बताते हुए, नेतन्याहू ने भारतीय नेता की सरहना की और अक्टूबर 7, 2023 के हमاس के क्रूर हमले के बाद इज़राइल के साथ खड़े रहने के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी उन पहले विश्व नेताओं में से थे, जिन्होंने

- नेतन्याहू ने इज़रायली संसद में मोदी का स्वागत किया और कहा, आपकी यात्रा से मैं बेहद अभिभूत हूँ। आप इज़रायल के “ग्रेट फ्रेंड” हैं और विश्व के महान नेता हैं।
- नेतन्याहू ने इज़रायल पर हमस के हमले में मोदी द्वारा इज़रायल का समर्थन करने के लिए उनका धन्यवाद किया। प्र.मंत्री मोदी उन चन्द नेताओं में से थे, जिन्होंने सबसे पहले इज़रायल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। ज्ञातव्य है कि उक्त हमले में 1200 इज़रायली मारे गए थे तथा 250 लोगों को किडनैप किया गया था।
- प्र.मंत्री मोदी और नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक व रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी बात की।

हमस द्वारा किए गए उस घातक हमले की निंदा की, जिसमें लगभग 1,200 इज़राइलियों की हत्या की गई और करीब 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था।

होली पर रेलवे 750 विशेष ट्रेन चलायेगी

नई दिल्ली, 26 फरवरी। होली की भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक कदम उठाने के साथ ही विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उत्तर रेलवे और दूसरे जोन से यहां के स्टेशनों पर आने वाली लगभग साढ़े सात सौ विशेष ट्रेनें घोषित की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च तक यह संख्या 12 सौ से अधिक

- अधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च तक ट्रेनों की संख्या 1200 से अधिक होगी।

होगी। इनमें से अधिकांश ट्रेनें दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से चलेंगी। इसके साथ ही, उत्तर रेलवे में आने वाले अन्य बड़े स्टेशनों से भी विशेष ट्रेनें चलेंगी। इससे दिल्ली के स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष होली के दिनों में उत्तर रेलवे द्वारा 280 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार यह संख्या साढ़े तीन सौ से अधिक होगी। वहीं, दूसरे जोन से भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब के प्रकाशन पर रोक लगाई

कक्षा-8 की उक्त पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी अध्याय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब के आगे के प्रकाशन, मुद्रण तथा प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” पर एक अध्याय था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गहरी जांच की आवश्यकता है।

कोर्ट ने पहले 25 फरवरी को इस मामले को स्वतः संज्ञान मामले के रूप में पंजीकृत किया था, जब यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा विपुल एम. पंचोली की बेंच के समक्ष उठाया गया था। “आपत्तिजनक पाठ्यपुस्तक” पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह एक सोची-समझी चाल थी, जिसका उद्देश्य संस्थागत अधिकार को कमजोर करना और

- सीजेआई ने इस मसले पर भारी नाराजगी जताई और कहा, न्यायपालिका पर गोली चलाई गई, वह घायल है। सीजेआई ने पुस्तक के प्रकाशन पर रोक के साथ ही कटैम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत स्कूल शिक्षा विभाग तथा एनसीईआरटी के डायरेक्टर को नोटिस भेजा।

- 25 फरवरी को यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, पर, कोर्ट ने उससे पहले ही इस पर संज्ञान ले लिया था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा विपुल एम. पंचोली की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

न्यायपालिका की गरिमा को कम करना था। मुख्य न्यायाधीश ने एक कड़ा बयान देते हुए कहा कि एक गोली चली है और न्यायपालिका घायल हो गई है। आदेश का मसौदा तैयार करते हुए सीजेआई ने स्कूल शिक्षा विभाग और एनसीईआरटी के निदेशक डॉ. दिनेश प्रसाद सकलानी को अवमानना

अधिनियम के तहत नोटिस जारी करते हुए उनसे यह पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि यह एक सोची-समझी चाल थी, जो न्यायपालिका की गरिमा और संस्थागत अधिकार को कमजोर करने के उद्देश्य से चली गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इसे बिना जांच के छोड़ दिया जाता

है, तो इससे सार्वजनिक सोच में और युवाओं के मन में न्यायिक व्यवस्था की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने यह नोट किया कि किताब में शब्दों का चयन अनजाने में हुई केवल एक सामान्य गलती नहीं हो सकता। अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी वैध आलोचना को दबाने या किसी व्यक्ति/संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू नहीं करना चाहता, जो सार्वजनिक संस्थानों, जिनमें न्यायपालिका भी शामिल है, की जांच करने का अधिकार रखते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि असहमति, विचार-विमर्श और गहन बहस एक जीवंत लोकतंत्र की अहम विशेषताएँ हैं और ये संस्थागत जवाबदेही के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। कोर्ट ने यह भी अफसोस जताया कि पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका की उस अनिवार्य भूमिका को नज़रअंदाज (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत का यूपीआई इज़रायल में भी चलेगा

- नई दिल्ली, 26 फरवरी। कई देशों के बाद अब इज़रायल में भी भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। भारत इज़रायल इकोनॉमिक फोरम की स्थापना भी हुई है। इसे लेकर मोदी और इज़रायली पीएम नेतन्याहू के बीच

■ **मोदी-नेतन्याहू मीटिंग में समझौता हुआ।**
द्विपक्षीय मीटिंग में समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इज़रायल दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पीएम ने कहा, मुझे खुशी है कि इज़रायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के लिए भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले साल हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एनसीईआरटी की किताब का विवाद साख और जिम्मेवारी के बीच के तनाव को दर्शाता है

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियां संकेत हैं कि वह इसे न्यायपालिका की वैधता पर बड़े प्रहार के रूप में देखता है

- हालांकि, यह भी सही है कि अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों की तरह न्यायपालिका भी आलोचना से परे नहीं है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में न्यायपालिका की आलोचना का अध्याय जोड़ने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इससे जनता का न्यायपालिका पर भरोसा कम हो सकता है।
- हालांकि कोर्ट ने हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वायत्तता की हिमायत की है, पर, जब न्यायपालिका की ईमानदारी व साख दांव पर लगी हो तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।
- एनसीईआरटी ने इस अध्याय की समीक्षा की है, पर, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक संस्थाओं के चित्रण पर स्पष्ट मार्ग निर्देशों को जन्म दे पाएगा या नहीं इसका पता आने वाला वक्त ही बताएगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा, विवाद थमेगा या और गहराएगा।

पर कार्यवाही करें। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह विवादित अंशों को हटाने का आदेश दे सकती है, यह कहते हुए कि “किसी को भी बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा,” और उन्होंने मामले

की गहरी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। पाठ्यपुस्तक में कहा गया था कि भ्रष्टाचार, न्याय में देरी और अपर्याप्त न्यायिक शक्ति अदालतों में जनता के

विश्वास को कमजोर करती हैं, जबकि इन मुद्दों को कानूनी और नीति विमर्श में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जिसमें संसदीय बहस और कानून आयोग की रिपोर्ट भी शामिल हैं, सामग्री

की रूपरेखा और तरीके ने आपत्तियाँ उत्पन्न कीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अध्याय ने न्यायपालिका का अत्यधिक नकारात्मक चित्रण किया, बिना उचित संदर्भ के, विशेष रूप से

किशोर छात्रों के लिये, जिनकी सोच विकसित हो रही होती है। मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणियों से यह चिंता जाहिर हुई कि बिना गहरे विचार के बार-बार भ्रष्टाचार की सार्वजनिक कहानियाँ न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को खत्म कर सकती हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना वैध है, लेकिन व्यापक सामाज्यीकरण या अपुष्ट दावे सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। सीजेआई ने यह भी संकेत दिया कि न्यायपालिका को, जो एक संवैधानिक स्तंभ है, व्यवस्थित रूप से अमान्य नहीं किया जाना चाहिए। अदालत की टिप्पणियों के बाद, एनसीईआरटी ने “अनुचित सामग्री” के लिए माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य न्यायपालिका की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिम के बिना वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल नहीं चलेंगे

नई दिल्ली, 26 फरवरी। अगर आप वॉट्सएप (वॉट्सएप) इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। केन्द्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सिम बाईंडिंग नियम में कोई ढील नहीं दी जाएगी। यह नियम वॉट्सएप के अलावा टेलीग्राम और सिग्नल जैसे

- केन्द्र सरकार ने सायबर धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम बनाये।

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक, 1 मार्च 2026 से सभी कंपनियों को इस व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में दिए एक बयान में कहा था कि ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किए गए हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)